

# कार्यालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं (राज.)

क्रमांक: 634

दिनांक: 30/5/24

## - कार्यालय आदेश -

वर्ष 2024 के माह जून 2024 एवं जुलाई 2024 में दिनांक 31.07.2024 तक आने वाले राजकीय अवकाशों हेतु झुंझुनूं न्यायक्षेत्र के लिए आवश्यक फौजदारी कार्य रिमाण्ड, जमानत व अन्य आवश्यक कार्य/मृत्युकालिक कथन/176 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही हेतु रिमाण्ड ड्यूटी के लिए निम्नलिखित तारीखों को उनके सामने अंकित मजिस्ट्रेटस को अधिकृत किया जाता है:-

क्र.सं.	दिनांक	मजिस्ट्रेट का नाम व दर्जा
<b>माह जून 2024</b>		
01.	02.06.2024	श्रीमती दीप्ती स्वामी, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नवलगढ़
02.	08.06.2024	श्री आकाश कुमार, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं
03.	09.06.2024	श्री आकाश कुमार, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं
04.	16.06.2024	श्री विनोद कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी
05.	17.06.2024	श्री विनोद कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी
06.	22.06.2024	श्री तुषार विश्रोई, न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुहाना
07.	23.06.2024	श्री तुषार विश्रोई, न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुहाना
08.	30.06.2024	श्रीमती सीमा कुमारी, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी
<b>माह जुलाई 2024</b>		
01.	07.07.2024	श्रीमती संगीता, न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरजगढ़
02.	13.07.2024	श्री दिलिप कुमार सैनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिलानी
03.	14.07.2024	श्री दिलिप कुमार सैनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिलानी
04.	17.07.2024	श्रीमती जया सैनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं
05.	21.07.2024	श्रीमती नीलिमा पंवार, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुरवाटी
06.	27.07.2024	श्रीमती मोनिका खीचड़, न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुरवाटी
07.	28.07.2024	श्रीमती मोनिका खीचड़, न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुरवाटी

1. उक्त राजपत्रित अवकाशों के अलावा अन्य कोई राजकीय अवकाश/स्थानीय अवकाश घोषित हो जाने पर उक्त घोषित अवकाश से पूर्व के राजकीय अवकाश के दिन जिस अधिकारी द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी संपादित की गई है, उसी अधिकारी द्वारा उक्त घोषित राजकीय अवकाश के दिन रिमाण्ड ड्यूटी का कार्य सम्पादित किया जावेगा।
2. यदि संबंधित मजिस्ट्रेट अथवा संबंधित लिंक मजिस्ट्रेट उपलब्ध हो तो उनसे भी बेल, रिमाण्ड एवं अन्य आवश्यक कार्यों के लिए आदेश प्राप्त किया जा सकता है।
3. उक्त आदेश में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में ड्यूटी परिवर्तन हेतु संबंधित न्यायिक अधिकारी द्वारा श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, झुंझुनूं की पूर्वानुमति से अपने स्तर पर अन्य न्यायिक अधिकारी से लिखित सहमति प्राप्त कर प्रार्थना पत्र मय सहमति के इस कार्यालय में प्रेषित किया जाने के उपरांत ही प्रार्थना पत्र पर विचार किया जावेगा।
4. तारांकित अवकाश के दिन जिस न्यायिक अधिकारी की रिमाण्ड ड्यूटी लगाई गई है वही न्यायिक अधिकारी तारांकित अवकाश के परिवर्तित होने पर रिमाण्ड ड्यूटी करेगा।
5. अवकाश के दौरान प्रस्तुत प्रथम सूचना रिपोर्ट, रिमाण्ड कागजात एवं अन्य प्राप्त दस्तावेजात आवश्यक रूप से अविलम्ब संबंधित न्यायालय को प्रेषित करें।

—scl—

(विपिन बिश्रोई)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
झुंझुनूं (राज.)